SHRI V. NARAYANASAMY : Then, why did they raise the sugar issue here ? If that is the case, why did they bring in the sugar issue ? *(Interruptions)*

SHRI PRAMOD MAHAJAN : So. this three-day Session was totally unnecessary irrelevant. We could have taken up this business in the Monsoon Session. So, it is an entire wastage of time since the morning, including these two minutes. . *(interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN Now, let us not.. *(Interruptions)*

SHRI S. K. T. RAMACHAN-DR.AN (Tamil Nadu) : They are wasting the entire economy of the country and they arc talking about the wastage of time.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Let us not consume any more time and I will call Mr. Hansraj Bhardwaj to move for leave to withdraw the Rrepresentation of the People (Amendment) Bill, 1990.

THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL, 1990

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW. JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARD-WAJ) : Madam, I beg to move for leave to withdraw the Representation of the People (Amendment) Bill, 1990.

I want to say one or two points on this issue. I would like to remind the House that the hon. Leader of the Opposition and other Members said that we were giving a go-by to the Dinesh Goswami Committee recommendations. I would urge upon them to kindly read this whole Bill. This Bill contains all measures and proposals which the Dinesh Goswami Committee had recommended and we are acting on the basis of those recommendations. But, in the meantime, Madam. . *(Interruptions)*

SHRI CHATURANAN MISH-RA (Bihar) : Which Bill arc you talking about ?

SHRI H. R. BHARDWAJ : The Representation of the People (Amendment) Bill which we are proposing to bring.

SHRI CHATURANAN MISH-RA : That is a separate Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN : He is referring to the leave to withdraw the Representation of the People (Amendment) Bill, 1990. which is pending before us.

SHRI H. R. BHARDWAJ : 1 was just referring to what was said, that we were not acting on the Dinesh Goswami Committee recommendations. ! am assuring this House that so far as the Government is concerned, we have given a serious consideration to the recommendations of the Dinesh Goswami Committee. We had a series of meetings with the Leaders of the Opposition. Most of them have attended these meetings. In respect of what has emanated from these meetings, we have accommodated certain views...*(Interruptions)* If you will kindly permit *me...(Interruptions)*

उपसभापति : अच्छा माथुर साहब, अभी लायल और डिसलायलिटी का सवाल बाद में आएगा। उनको बोलने तो दीजिए। He is talking not about loyalties iiat he is talking about withdrawal. Please let him speak.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : ....(**व्यवधान**) जो लायल

[श्री जगदीश प्रसाद माथुर]

जिनके हित बंधे हुए हैं.... (व्यवधान)

उपसभापति : उनको बोलने तो दीजिए ।

SHRI H. R. BHARDWAJ; I am sorry, Madam, that on such a matter, they are trying to import politics. This matter concerning electoral reforms is beyond politics. We have always taken care to see to it that the Opposition parties are consulted and that their views are respected. We should not bring partisan attitude on this issue. Madam, we have been consulting and giving due consideration to their proposals and, that is why, from time to time, we are improving upon this. Therefore, I am withdrawing this Bill and I am bringing another Bill which contains a majority of the recommendations of the Di-nesh Goswami Committee and other proposals. So, I want to withdraw the Bill.

The question was proposed.

THE LEADER OF OPPOSITION (SHRI SIKANDER BAK-HT) : We are opposed to the introduction of this also....

THE DEPUTY CHAIRMAN : It is withdrawal.

SHRI SIKANDER BAKHT : I ani opposed to the move to withdraw the Bill. I deliberately did not give quite a few arguments which I hadreserved for the appropriate time.

मगर मैलाफाइडी का एक लफ्ज़ मेरे साथी ने यहां से, मैं फिर कहना चाहता हू कि बेहद मैलाफाइडी है । खिसियानी बिल्ली खंभा नोच रही है । आप रिलीजन बिल लेकर आए, मजबूर होकर वापिस लेना पड़ा । अब बैक डोर से फिर दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं । यह सारी मेलाफाइड इटेंशन हैं । आप हिन्दुस्तान की तमाम इस्टीट्यूशंस को, उनकी इंडिपेंडेंस को रुइन करना चाहते हैं । मैं सख्त तरीम मुखलिफ़ हूं इस बिल के वापिस लेने का ।

†شری سکندر بخت : مگر میلافائیڈی کا ایک لفظ میرے ساتھی نے یہاں سے۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ بے حد "میلافائیڈی" ہے۔ کھسیانی بلّی کھمبا نوچ رہی ہے آپ ریلیجن بل لے کر آئے۔ مجبور ہو کر آپ کو واپس لینا پڑا۔ اب بیک ڈور سے پھر داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ساری "میلافائیڈ" انٹینشن ہیں۔ آپ ہندوستان کی ساری انسٹی ٹیوشنس کو۔ اُن کی انڈیپنڈنس کو رُوئن کرنا چاہتے ہیں۔ میں سخت ترین لفظ کہتا ہوں اس بل کے واپس لینے کی

SHRI H. R. BHARDWAJ : A Joint Committee of both Houses went into this matter.. *{Interruptions)* Madam, you may recall that the Joint Committee went into the whole question and all the parties were represented on it.

उपसभापति : इस हाऊस का कन्वेंशन रहा है कि कोई भी मोशन सरकार लाती है इंट्रोडक्शन का या विद्ड्राल का, तो उस पर कोई सदस्य बोलता है और मिनिस्टर उसका रिप्लाई देते हैं .... (व्यवधान) माथुर साहब, आप तो बोलने दीजिए । आपकी आदत इतनी खराब हो गई है कि आप चेयर की बात को भी काटते हैं .....(व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आपने रूल 19 को रेफर नहीं किया है । उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो परमीशन मागेंगे, परमीशन लेने के बाद बोलेंगे । इसलिए आप जो कह रही हैं उसमें सत्यता नहीं है ।

† [ ]Transliteration in Arabic Script.

उपसभापति : मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद आपको टिप्पणी करने की इजाजत है। बगैर इजाजत भी आप करते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मेहरबानी करके एक मिनट बैठिए। मैं आपके ऊपर ऐतराज नहीं कर रही हूं। मैं यह कह रही हूं कि अभी आप सब लोग कह रहे थे कि लेट हो गया है इसलिए इस पर कृपया संक्षेप में बोल दीजिए। पिछले अमेंडमेंट के ऊपर आपने विस्तार से बोला है, किसी ने मना नहीं किया।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : यह विषय अलग है।

उपसभापति : ठीक है यह विषय अलग है मगर किसी विषय पर आप संक्षेप में भी बोल सकते हैं। इसलिए मेहरबानी करके संक्षेप में बोलिए। यह कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदया, हमारे संविधान की प्रस्तावना में हमने ये संकल्प लिया है कि हम अपने देशवासियों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय और बराबरी देंगे। बाबा साहब डा. अम्बेदकर ने जब 25 नवम्बर, 1949 को संविधान प्रस्तुत किया तो उन्होंने यह कहा कि 26 जनवरी, 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाएगा और हमारे देश के लोगों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बराबरी मिलेगी लेकिन वह अभी तक नहीं मिली। तो देश का क्या होगा ?

महोदया, इन चुनाव सुधारों के माध्यम से राजनीतिक बराबरी सुनिश्चित करने की मांग संविधान निर्माताओं की रही थी। संविधान सभा की यह सर्वसम्मत राय थी कि मत देना, मत मांगना, मतदान में भाग लेना, चुनाव में भाग लेना, किसी भी सीट के लिए चुनाव लड़ना, यह फंडामेंटल राईट होना चाहिए, मौलिक अधिकार होना चाहिए। संविधान निर्माता इसे मौखिक अधिकारों में रखना चाहते थे लेकिन इसके ऊपर एक अलग लॉ ये रिप्रैजेंटेशन आफ पीपल्स ऐक्ट बनाया गया। इसमें ये सारे प्रावधान और मंशाएं समाहित की गई थीं। मैं आपसे बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि ये जो दिनेश गोस्वामी कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें जो चुनाव सुधारों के बारे में प्रस्ताव आए, उनकी भी मंशा यही थी कि हमारे देश के लोग यह चाहते थे कि राजनीतिक बराबरी सब लोगों को मिले।

महोदया, मझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी कांग्रेस की केन्द्र सरकार, जो गरीबी की हिमायती होने की दुहाई देती है, उसने जो चुनाव सुधारों का मसौदा पेश किया है, क्या उसमें यह व्यवस्था है कि ऐसे लोग जो गरीब लोग हैं, जो अपना राजनीतिक दल बनाते हैं और कम पैसे में, कम खर्च में, कम कागज लगाकर, कम पोस्टर लगाकर, कम बैनर लगाकर, कम गाड़ियां चलाकर भी चुनाव लड़ सकते हैं ? क्या उसमें इस तरह का कोई प्रावधान है ? आज हमारे देश में बहुत से ऐसे दल हैं जो गरीबों ने बनाए हैं और जब आप इस तरह से उनका शोषण करेंगे, जाति के नाम पर उनका शोषण करेंगे, वर्ग के नाम पर शोषण करेंगे तो उनका क्या हश्र होगा ? जब वे इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो आप उनको डिरजिस्टर कर देंगे। इस देश में हजारों सालों से जाति और धर्म के नाम पर इस गरीब समाज का दोहन, दलन और उत्पीड़न होता रहा है। ये गरीब अपना धर्म न निभा सकें, देश के ईमानदार लोग, अच्छे लोग, शरीफ लोग, जो गुंडे या माफिया के लोग बूथ कैप्चरिंग करते हैं वह प्रथा छोड़कर ईमानदारी से सच्चाई से और धर्म का सहारा लेकर वोट डालना चाहते हैं, चोरी नहीं करना चाहते, झूठ नहीं बोलना चाहते, डकैती से वोट नहीं डालना चाहते, शराब पीकर वोट नहीं डालना चाहते, पैसा लेकर वोट नहीं डालना चाहते क्या आप ऐसे लोगों की झूठी व्याख्या करके ऐसे संगठनों को डी-रजिस्टर्ड करना चाहते हैं ? आपकी नियत क्या है ?

[श्री संघ प्रिय गौतम]

Every action has to be judged by one's intention.

आपका इरादा क्या है ? क्या आप चाहते हैं कि इस देश में जो आपकी प्रथा है। वह चालू रहे ? इतिहास साक्षी आपने क्या किया, दल-बदल किया । आपने कांग्रेस के लोगों ने 9 राज्यों में दल-बदल किया । आप इसके जन्मदाता हैं । आपने नेशनल कांन्फ्रेंस के साथ कश्मीर में समझौता किया । आपने मुस्लिम लीग के साथ केरल में समझौता किया । आपने यू.पी. में समझौता किया । आप देश के विरोधियों के साथ अधर्म की राजनीति करना चाहतें हैं । आपकी मंशा क्या है ? मैं यह कहना चाहूंगा कि पहले आप यह बताइये कि इसे आप वापस क्यों लेना चाहते हैं । इसमें जो सुधार लाये गये थे इस दृष्टि से कि चनाव में खर्च कम होगा, चुनाव में वाहन कम इस्तेमाल होंगे, चुनावों में जो बेकार उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं वे खड़े नहीं हो सकेंगे उसको आप वापस क्यों ले रहे हैं ।

मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं । डा. अम्बेडकर को कोट करना चाहता हूं । उन्होंने कहा था अगर कोई भी अच्छी चीज के लिए संशोधन लाना चाहते हैं तो आपको अपने घोषणा पत्र में लिखकर जनता को बताना होगा । मैंने आपका चुनाव घोषणा पत्र पढ़ा है आपने चुनाव सुधारों की बात कहीं नहीं कही है । फिर आप इसको कैसे ला सकते हैं ।

You should give notice to the people

आप चुनाव में संशोधन किस प्रकार कर सकते हैं । मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि हम इस विद्ड़ाल का घोर विरोध करते हैं ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : महोदया, जब गलत नीयत हो तो ठीक काम भी बिगड़ जाते हैं । यह बिल जो विद्ड़ा कर रहे हैं भारद्वाज जी, मैं कहना चाहता हूं कि आब्जर्वर नियुक्ति करना, सेक्योरिटी डिपोजिट करना, इलैक्शन के खर्च के बारे में और इल्लीगल प्रेक्टिस के बारे में, इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिससे सब लोग सहमत थे और हो सकते थे ? लेकिन आज की स्थिति में इलैक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन सरकारी दल के कुछ आड़े आ रहा दिखाई देता है । जो यह गलत काम करते हैं, आब्जर्वर जो नियुक्त किये जाते हैं वे सख्ती से काम करते हैं, चुनावों में इल्लीगल प्रेक्टिस होती है, सरकारी जहाज इस्तेमाल करते हैं उन सब पर रोक लगाने का प्रावधान इस बिल में है और इस बिल पर अधिकांश पार्टियों ने सहमति प्रकट की थी क्योंकि नीयत खराब है इस लिये इसको विदड़ा कर रहे हैं ।.. (**व्यवधान**) भारद्वाज जी आपकी ईमानदारी की बात कर रहा हूं। जो आपने इस बिल में ढंग की बातें मानी थीं उनको आप रद्द करके अपने हुकूमत का उल्लू सीधा करने के लिये इसे विदड़ा करके नया कुछ करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो एक्सपेंसेज के ऊपर रुकावट थी वह आप क्यों वापस लेना चाहते हैं ? या जो सिक्योरिटी डिपाजिट्स के बारे में था, आप उसको क्यों वापस लेना चाहते हैं ? जितनी भी ढंग की बातें थी वह आप बिल वापस लेकर, उनको भी वापस ले रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा मैलाफाइड इंटेशन से हवाई जहाजों का दुरुपयोग कर सकें, सरकार वह चाहे चुनाव की घोषणा कर सके इसको ध्यान में रख कर आप इस बिल को वापस ले रहे हैं और इसको नये तरीके यह करना चाहते हैं । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा) : उपसभापति महोदय, संविधान के 70वें संशोधन विधेयक, 1990 को वापस लेने के बाद अब लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक को वापस लेने की अनुमति विधि मंत्री सदन में मांग रहे हैं । जो बातें मैंने पहले बिल को वापस लेने के संदर्भ में कही थी, उन्हें मैं दोहराना नहीं चाहूंगी लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि इस बिल के कंटेंट्स

को छोड़कर बाकी तमाम मेरी कही गयी बातें इस बिल को वापस लेने के समय भी सही है और जो तमाम रीजन मैंने उस समय दिये थे वह इस समय इस बिल के वापस लेने पर भी लागू होते हैं । जहां तक बिल के कंटेंट्स का सवाल है, मैं केवल दो बातें कहना चाहूंगी । यदि किसी बिल को बेहतर बनाने की दृष्टि से पुराने विधेयक को वापस लिया जाय तो उसको वापस लेने में कोई भी एतराज किसी को नहीं हो सकता है । लेकिन अगर पुराने बिल की आत्मा को नष्ट करके बदनीयती से दूसरा बिल, दूसरा विधेयक लाया जाय तो उसका समर्थन हम हरगिज नहीं कर सकते हैं इन्होंने अपने स्टेटमेंट में जो 12 मई को हमें दी थी उसमें यह कहा था, दोनों बिलों के बारे में कि :

"These two Bills have been formulated after taking into account the provisions contained in the two pending Bills."

लेकिन मैं कहना चाहूंगी विधि मंत्री को कि :

No. These Bills have not been formulated after taking into account the provisions contained in the two pending Bills, but these two Bills have been formulated after destroying the provisions contained in the two pending Bills.

अपनी बात को समर्थन देने के लिये और अपने आरोप को पुष्ट करने के लिये मैं केवल एक धारा का उदाहरण देना चाहूंगी । उपसभापति महोदया, यह जो पुराना बिल था, लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक, 1990 इसमें धारा 78(ए) और 78(बी) नयी जोड़ी गयी थी और इस देश के अन्दर जो धन के बल का कुप्रभाव पड़ रहा था, उसको समाप्त करने के लिये वर्षों से चली आ रही चुनाव सुधारों की मांग थी, स्टेट फंडिंग के बारे में और इन धाराओं में दो नये प्रावधान जोड़े गये थे, इस बिल में जो आप वापस ले रहे हैं । मैं पूरा विवरण नहीं बल्कि उसमें से सिर्फ चार लाइनें पढ़कर यहां सुनाना चाहता हूं, जो पुराने बिल में डाली गई थी :

"It is proposed to make a beginning with regard to State funding towards election."

आप इस बिल के माध्यम से एक नयी शुरूआत कर रहे थे ।

"For that purpose, new sections 78A and 78B are being inserted to provide that the Government shall supply free of cost to the candidates of recognised political parties such number of copies of the electoral roles, such quantity of diesel or petrol for such number of vehicles as may be laid down in the rules to be made by the Central Government. The Central Government will also pay to the candidates of recognised political parties such amount on account of hire charges for a certain number of microphones as may be specified in the rules. And the State funding can be gradually extended by the Government in consultation with the Election Commission."

मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि वर्षों की मांग के बाद एक नयी शुरूआत जो रिप्रेजेंटेशन आफ पीपुल ऐक्ट के अमेंडमैंट, 1990 में की गयी थी, स्टेट फंडिंग की–आज अगर आप इस बिल को लाकर स्टेट फंडिंग की बात करते और इस बिल का आप विदड्राल के लिये लाते तो सबसे पहले मैं और मेरा दल इसका समर्थन करता । लेकिन जो नया बिल विधि मंत्री जी लाये हैं...स्टेट फंडिंग की वह क्लाज जो वर्षों की मांग के बाद इस बिल में डाली गई थी, वह आपने हटा दी है और आप दलों की सर्वानुमति बना रहे हैं भाजपा वर्सेज आल । मैं उन प्रावधानों पर आज नहीं बोलूंगी क्योंकि उन प्रावधानों पर मेरा बोलना तब बनता है जब आप बिल लेकर आयेंगे । किस नीयत से आपने प्रावधान डाले, उन बातों पर उस समय बोलूंगी । लेकिन

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

आप विदड्रा करने के समय जो धारायें नष्ट कर रहे हैं, उन धाराओं पर बोलना प्रासंगिक बन रहा है। इसलिये मैं आपसे कह रही हूं कि आप इस बिल को बेहतर बनाने के लिये वापिस नहीं ले रहे हैं, आप कोई कम्प्रेहेंसिव बिल नहीं ला रहे हैं बल्कि आप कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन ला रहे हैं, आप विवादास्पद बिल ला रहे हैं और वर्षों से मांगी गई अच्छी धाराओं को जो बिल में डाली गई थीं उनको नष्ट कर के आपने इस बिल की आत्मा को नष्ट कर दिया है। मेरी फिर सदन के तमाम साथियों से यह अपील होगी कि शायद आपने इस बिल की धाराओं को पढ़ा नहीं हो, क्या आप चाहेंगे कि स्टेट फंडिंग जैसी धारा जिस बिल में शामिल थी, वह बिल विदड्रा कर लिया जाय? इन धाराओं को ओमिट करके एक नया बिल जो आये उसको पारित किया जाये? इसलिये मैं फिर माननीय सदस्यों से अपील करना चाहूंगी कि वह तलवार कहीं और भांज लेना जब डिलिंकिंग आफ रिलीजन फ्राम पॉलिटिक्स का बिल यह लेकर आयेंगे तब ताकत आजमा लेना। इसलिये दूसरे नये बिल में जो धारायें डाली जा रही हैं उनका समर्थन करने की गलती मत कीजिये। एक इतनी अच्छी धारा जो इस बिल के अन्दर डाली गई थी उसको नष्ट करके यह बिल ला रहे हैं इसलिये कम से कम इस बिल को विदड्रा मत होने दीजिये बल्कि इस बिल को पारित करने के लिये इनके ऊपर वजन डालिये, दबाव डालिए यह अपील करते हुये मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

उपसभापति : श्री प्रमोद महाजन।

श्री प्रमोद महाजन (महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदया, मैं इसमें केवल एक ही शब्द कहना चाहता हूं। मैंने.. (व्यवधान)

उपसभापति : परमिशन उनको दी गई है। .. (व्यवधान) आप भी बोलिये।

SHRI S. S. AHLUWALIA (Bihar) : How many persons, Madam ?

THE DEPUTY CHAIRMAN : They had given five names on the Constitution (Seventieth Amendment) Bill, 1990 and the Representation of the People (Amendment) Bill, 1990.

श्रीमति सुषमा स्वराज : इनको इस का भी दुख हो रहा है। बोलने के ऊपर भी दुख हो रहा है।

श्री प्रमोद महाजन : मैं यह चाहता हूं मदन भाटिया जी जो सबक पढ़ा रहे हैं उनको भी पढ़ा दें कि हर एक अलग से दे सकता है। आप जरा ओब्जेक्टिव लेकर बता दें। शायद विधि कार्य मंत्री जानती नहीं हैं, इसलिये उनको जरा बता दें।

उपसभापति महोदया, जैसे मैंने शुरू में कहा कि मैं इसलिये यह मुद्दा रखना चाहता हूं कि विधि मंत्री के मन में एक नया सर्वश्रेष्ठ बहुत ही सुन्दर विधेयक क्या है, यह कम से कम इस सदन के सदस्य होने के नाते मेरे तक नहीं पहुंचा है। इसलिये उनके मन में क्या बात है, मुझे मालूम नहीं है। नया बिल क्या होगा, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। आपको जानकारी हो सकती है, अन्य सदस्यों को हो सकती है लेकिन मुझे अधिकृत रूप से इसका पता नहीं है। आप जो बातें अच्छी दे रहे हैं, उनकी मुझे जानकारी नहीं है लेकिन आप हमारे सदन से वापिस ले रहे हैं, उसकी जानकारी मुझे है। मैं जब उस विधेयक को पढ़ता हूं तो मुझे एक भी बात ऐसी दिखाई नहीं देती, मुझे क्या क्या विधि मंत्री जी को भी शायद आपत्तिजनक लगती हो या जो इसका विरोध करना चाहते हों उनको भी आपत्तिजनक नहीं लगती हो। मुझे आज तक यह समझ में नहीं आया कि एक

विधेयक सदन के सामने चार साल से पड़ा है जिसके किसी एक भी प्रावधान का विरोध करने की इच्छा न सत्ता पक्ष की है और न विपक्ष की है, न सदन के नेता करेंगे, न विपक्ष के नेता करेंगे, जिसका हर प्रावधान अच्छा है, इस अच्छे बिल को वापिस लेने का कारण कम से कम मेरी समझ में नहीं आता है । आपने एक ही मुद्दा कहा है चूंकि मैं एक सर्वश्रेष्ठ अच्छा बिल ला रहा हू, इसलिये यह छोटा अच्छा बिल वापिस लेता हूं और उसको उसमें डाल देता हूं । मेरा कहना यह है कि चुनाव प्रक्रिया एक ऐसी निरन्तर सुधार प्रक्रिया है कि यदि आज एक सर्व-श्रेष्ठ बिल आयेगा तो वह भी कोई अंतिम शब्द नहीं होगा । उसके बाद भी कोई विधेयक आयेगा तो अधिक सुधार करके आयेगा । इसलिये सुधार की प्रक्रिया तो यह सदन निरन्तर चलाता रहेगा अपनी बुद्धिमता के अनुसार । मुझे आज सदन से यह प्रार्थना करनी है कि अगर आज जो विधेयक है इसमें एक भी चीज आपत्तिजनक नहीं है तो क्यों न हम विधि मंत्री का काम थोड़ा सा हल्का कर दें । हम इस बिल को अभी के अभी यहां पास कर दें ताकि जो नया बिल आ रहा है वह छोटा हो जायेगा, उसमें चर्चा भी छोटी हो जायेगी । उसमें फिर उन सारे प्रावधानों को लिखेंगे, प्रिंट करेंगे, हम फिर वही प्रावधान बतायेंगे, चर्चा करेंगे : यह जो फिजूलखर्ची करने का आप काम कर रहे हैं उसको आप बन्द करिये । चार साल से यह बिल हमारे पास पड़ा है । इसका अध्ययन हुआ है । यह आपको भी अच्छा बिल लगता है मुझे भी अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है तो इस बिल को अभी के अभी पास कर दीजिये । जो बचे हुये सुधार आपको करने हैं वे किसके खिलाफ ये किसके पक्ष में हैं, जब आप मैदान में आयेंगे तो बात करेंगे लेकिन जो भी आपको और सुधार करने हैं उन सुधारों का एक छोटा सा बिल फिर कल आप ले आइये लेकिन कम से कम जो यह अच्छा बिल है यह मुझसे उधार न लीजिये इसलिये मेरी प्रार्थना सदन से है कि

"A bird in the hand is worth two in the bush."

कम से कम जो एक हाथ में अच्छा सुधार है उसको सदन एक्सेप्ट कर ले । कल आने के बाद अगर अच्छा होगा कि तो उसको समर्थन देंगे, उसको वापस करेंगे । इसलिये जो इतना अच्छा विधेयक है – अगर आपको बुरा लगता है तो ऐसा करिये कि विधेयक अच्छा नहीं है, प्रावधान गलत है इसको विदड्रा करते हैं । अगर नहीं है तो मेरी प्रार्थना है कि इस विधेयक को अभी पारित करके अपना भी काम हल्का करिए और हमारा भी काम हल्का करिये ।

उपसभापति :

: That is over . ,

.{Interruptions)..

आप भी बोलेंगे ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : (उत्तर प्रदेश) : मेरा भी नाम है ।

उपसभापति : : नाम तो है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मगर मैं बोलना चाहूंगा

उपसभापति : चलिये बोलिये ।

मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो जन प्रतिनिधि संशोधन विधेयक है इसे 30 मई, 1990 को प्रस्तुत किया गया था । काफी मेहनत के बाद प्रस्तुत किया गया था । इस विधेयक को वापस करने के अतिरिक्त एक तरीका यह भी हो सकता था कि सरकार की ओर से जो वर्तमान विधेयक है जिसको वापस ले रहे हैं इसी में कुछ संशोधन रखते क्योंकि इसके जो प्रावधान हैं इसमें न कोई आपत्ति मुझे समझ में आती है न हमारी समझ में सरकार को आती है क्या विधेयक ये सदन में लायेंगे इसकी

[उपसभापति]

भी हमको जानकारी नहीं है । लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि इस संबंध में निश्चित स्पष्टीकरण आना चाहिये था जो कि मंत्री महोदय का लिखित वक्तव्य है उसमें भी नहीं है और न उन्होंने यहां पर जो वक्तव्य दिया है उसमें इस बात का कोई इशारा किया है । मैं फिर केवल यही सुझाव देना चाहता हूं कि इस विधेयक को वापस लेने के अतिरिक्त जो हमारे सदन के नियम हैं उनमें जो एक प्रावधान दिया हुआ है उसके अनुसार इसी विधेयक में कुछ संशोधन ये प्रस्तुत करें और इसको वापस लें ।

उपसभापति : बस अब तो कोई नहीं बोल रहा है । चलिये, जवाब दीजिये ।

SHRI H. R. BHARDWAJ : Madam, Deputy Chairman, I would like to inform Pramod Mahajanji that we greatly value the recommendations of the Dinesh Goswami Committee. We have faithfully gone into it. Besides the proposal contained therein, we have added one chapter relating to the representation on communal lines on certain issues. That is a new phenomenon in the new Bill which is going to come up before this House. Those matters will have to be discussed by all of us objectively, how far you like it, how far it can be improved upon. But it is different from the recommendations of the Dinesh Goswami Committee, in the sense that it is a combination of the 1993 Bill which I had introduced in the other House and which could not be passed, which went before a Joint Committee of both the Houses of Parliament, on which they gave certain formulations and the other Bill is of 1990. I have tried to combine the provisions of both the Bills to a substantial extent. So, it is not a verbatim record of Dinesh Goswami's recommendations.

Today, we have the 'code of Conduct' to be observed by all parties as a controversial thing. People have different types of feeling about the 'code of conduct'. We have given one full chapter on the 'code of conduct' as 'statutory illegal practice'. This is one of the good beginnings we have made. Then, we have given certain things for observance. Mathurji has not seen it. We have kept the same provision what he has given except what Sushmaji has said. We have deleted clause 77(b) for certain good reasons. .. *(Interruptions)*.. I agree with you there is room... *(Interruptions)*...

SHRI PRAMOD MAHAJAN : What is bad in this ? How can I allow you to withdraw it ?

SHRI H. R. BHARDWAJ : There is nothing bad here or there. The only bad thing—according to you—may be addition of clause 29.

SHRI PRAMOD MAHAJAN : This is not in the Bill. That is a new clause. We will come to it later on. Don't worry about this. .. *(Interruptions)*..

SHRI H. R. BHARDWAJ : I will discuss it with you when it comes. It is exactly, substantially, the same type of provision as was contained in the 1990 Bill. But we have added another chapter and that was the need of the hour.

I have a point of order, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Just a minute. I must bring it to your notice that according the rule book, you can oppose and if the Chair permits, you can make whatever points you want to oppose the withdrawal of the Bill. But

यह समय की पुकार थी कि हम सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ें । इसलिये उसको जोड़ा गया ।

श्री प्रमोद महाजन : इसमें गलत क्या था, आप वह बताइये . . . **(व्यवधान)**

having said that, you cannot make it a debate. The Minister is replying. Now you have made a point. If he keeps on clarifying like this, we will convert it into a debate. There is a very thin line between a debate and clarifications. So we have to keep that.

SHRI PRAMOD MAHAJAN : Madam, only one point. He is asking for the withdrawal of the Bill. So, he should only talk about the withdrawal of the Bill. He can talk about what the provisions are in the new Bill only when the new Bill comes. The restriction put on me must apply equally when he is withdrawing the Bill. I cannot speak and he can speak anything ! He is speaking about clauses 29A, 29 B, de-registration, communal parties, what is communal, etc. Allow me to speak about them and then let him answer.

THE DEPUTY CHAIRMAN : You understand that there is a reason why the Minister is withdrawing the Bill. The Minister is in his right to explain the reasons which you have asked for. He is only giving reasons why he is withdrawing the Bill. He has to say that because certain provisions are not enough, he is going to bring another containing enough provisions and is withdrawing the present one. That is what he is saying.

SHRI H. R. BHARDWAJ : I am giving you a fresh Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN : If the provisions were there already, there was no need to withdraw the Bill.

Now, the question is :

"That leave be granted to withdraw the Representation of the People (Amendment) Bill, 1990."

The motion was adopted.

SHRI H. R. BHARDWAJ : Madam, I withdraw the Bill.

THE CONSTITUTION (SEVENTY-FIRST) AMENDMENT BILL, 1990

THE DEPUTY CHAIRMAN : There is a third thing also, the Constitution (Seventy-first Amendment) Bill, 1990. *{Interruptions).*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ): Madam, I beg to move—

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to leave being granted by the Lok Sabha to withdraw the Bill further to amend the Constitution of India which was passed by the Rajya Sabha on the 29th April, 1992 and laid on the Table of the Lok Sabha on the 4th May, 1992."

The question was proposed.

SHRI SATISH AGARWAL (Rajasthan) : There is a point of order.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Are you speaking on that ? I will call him before that.

DR. MURLI MANOHAR JO-SHI (Uttar Pradesh) : It is to oppose the motion. He cannot move it.

THE DEPUTY CHAIRMAN : What is your point of order ? According to which rule he cannot move it ?

SHRI SATISH AGARWAL : Madam, I would draw your attention to rule 118. It says, "The member in charge of a Bill may at any stage of the Bill move for